



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-19012026-269421
CG-MH-E-19012026-269421

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 14, 2026/पौष 24, 1947

No. 186]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 14, 2026/PAUSHA 24, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

शुद्धिपत्र

(ई-गजट अधिसूचना संख्या 4542 दिनांक 15 अक्टोबर 2025 के संबंध में, नीचे उल्लिखित

अनुच्छेद को पिछली अधिसूचना में सही विवरण के रूप में माना जायेगा)

मुंबई, 8 जनवरी, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम-2008 की धारा 20(E) के तहत

का.आ. 196(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 2 जून] 2016 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 3124 (E) तारीख 8 जुलाई 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को महाराष्ट्र राज्य के बीड़ जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् "अहमदनगर-बीड़-परली-वैजनाथ (261 किमी) – नई लाईन, महाराष्ट्र". की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी ।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा (4) के अधीन अनुविभागीय अधिकारी, माजलगांव, बीड़ जिला दैनिक सामाचार पत्रों अर्थात् “दैनिक रणझुंजार”, और “लोकाशा” में तारीख 10-08-2025 को प्रकाशित किया गया था।

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषण करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के बीड़ जिले के अंतर्गत 1 गाँव का विशेष रेल परियोजना “अहमदनगर-बीड़-परली-वैजनाथ (261 किमी) – नई लाईन, महाराष्ट्र” के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ.क्र.	भू-संपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूधारणा प्रणाली	7/12 के अनुसार कुल क्षेत्रफल (हे.आर.)	संपादित क्षेत्र (हे.आर.)	मालमत्ता		
									बोरवेल/विहीर	बांधकाम	पेड़
1	66/2025	बाबी	वडवणी	अमोल यशवंत राठोड	97/2	1	6.55	0.04	0	0	0
2				शेखा चाफा राठोड व इतर 7	97/2	1		0.03	0	0	0
3				जेमा भिमा राठोड	97/2	1		0.06	0	0	10 (आंबे रोप)
4				भुजंग नारायण राठोड	97/2	1		0.06	0	0	09 (आंबे रोप)
5				भगवान फुला राठोड	97/2	1		0.03	0	1 पत्रा शेड	10 (आंबे रोप), 03 (बोरी)
6				उत्तम रुपसिंग राठोड	97/2	1		0.11	0	0	0
7				माना लालू राठोड व इतर 8	97/2	1		0.13	0	1 मंदिर	0
8				अरुण विष्णु राठोड	97/2	1		0.005	0	0	03 (आंबे रोप)
9				गुंडूप्रसाद नारायण राठोड	97/2	1		0.035	0	0	07 (आंबे रोप)
10				भगवान फुला राठोड	97/2	1		0.02	0	0	0
11				आबासाहेब रुपसिंग राठोड	97/2	1		0.06	0	0	0
12				संपत वालु राठोड	97/2	1		0.23	1-पाईपलाइन	0	10 (आंबे झाड), 02 (जांभूळ), 02 बोरी सामाईक
13				भगवान फुला राठोड	97/2	1		0.04	0	0	0
14				गुंडूप्रसाद नारायण राठोड	97/2	1		0.05	1-पाईपलाइन	0	0
15				कैनाल	97/2	1		0.13	0	0	0

अ.क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूधारणा प्रणाली	7/12 के अनुसार कुल क्षेत्रफल (हे.आर.)	संपादित क्षेत्र (हे.आर.)	मालमत्ता		
									बोरवेल/विहीर	बांधकाम	पेड़
16				वाळु पांडु राठोड	97/2	1		0.25	1- पाईपलाइन	0	0
17				भगवान फुला राठोड	97/2	1		0.1	0	0	0
18				वालु अंबु चव्हाण	50	1		0.07	1 विहीर सामाईक- सुशिलाबाई बंडु, वालु अंबु, रामराव रामसिंग	0	04 (आंबे झाड), 07 (आंबे रोप), 01 चिंच
19				सुशिलाबाई बंडु चव्हाण	50	1		0.04	1- पाईपलाइन	1- कुक्कुटपालन शेड	26 (आंबे रोप), 34 (पेरू झाड)
20				माना लिंबा चव्हाण	50	1		0.015	0	0	0
21				बायनाबाई हरी चव्हाण	50	1		0.01	0	0	0
22				जेमा लक्ष्मण चव्हाण	50	1		0.02	0	0	0
23				भिमराव रामसिंग चव्हाण	50	1		0.005	0	0	0
24				फुमा पांडू राठोड	50	1	8.25	0.06	1- विहीर, 1- पाईपलाइन	0	02 (आंबे रोप), 01 चिकु, 02 सागवान
25				उत्तम शाहु राठोड	50	1		0.025	0	1- RCC घर, 1-गाई गोठा	08 (आंबे झाड), 03 नारळ, 01 जांभूळ, 04 (आंबे रोप)
26				शामराव लिंबा राठोड	50	1		0.02	0	0	0
27				धोंडाबाई सोमा चव्हाण	50	1		0.02	0	0	02 -चिंच
28				श्री पांडुरंग सहकारी साखर कारखाना	50	1		0.02	0	4-बाथरूम	07-आंबे रोप, 01 नारळ, 01 लिंबुनी, 01 पेरू, 01 डाळीब
29				सुलोचना नंदकिशोर बाहेती	50	1		0.03	0	2- रूम	0
30				सत्तार सुलतान शेख	50	1		0.02	1 - पाईपलाइन	5-रूम	0
31				कौसाबाई ज्ञानोबा राठोड	49	1	2.66	0.01	0	0	0
32				सारिखा रामेश्वर राठोड	49	1		0.03	0	0	14 - नारळ, 03- आंबे रोप
33				वाळु साहेबराव	51	1	0.89	0.01	0	0	0
34				सुभाष वसंत राठोड	51	1		0.01	0	0	0
35				शिवशंकर नवनाथ सावंत	45	1	1.58	0.09	0	0	0

अ.क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूधारणा प्रणाली	7/12 के अनुसार कुल क्षेत्रफल (हे.आर.)	संपादित क्षेत्र (हे.आर.)	मालमत्ता		
									बोरेल/विहीर	बांधकाम	पेड़
36				संपत वालू राठोड, बबन वालू राठोड	104	1	4.34	0.21	1 शेत तळे सामाईक, 2 पाईपलाईन आहेत. 1विहीर सामाईक, पण यांची विहीर नारायण पांडू राठोड यांच्या नावानी award झालेलो आहे. परंतु संपत वालू राठोड व बबन वालू राठोड यांची वहिवाटीत सामाईक विहीर आहे.	0	05- चंदन, 02- बोरी, 02- जांभूळ, 06-आंबे सामाईक
37				विष्णु चिमा राठोड	23	1	3.99	0.11	0	0	0
				कुल			28.26 (हे.आर.)	2.205 (हे.आर.)			

[फा. सं. G197/ANG-Beed-Parli-Vaijnath/Babi Vlg/20E/Corrigendum]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

CORRIGENDUM**(IN REGARD TO E-GAZETTE NOTIFICATION NO.4542 DATED 15 OCTOBER 2025, THE PARA MENTIONED BELOW SHOULD BE TREATED AS CORRECTED DETAILS IN PREVIOUS NOTIFICATION)**

Mumbai, the 8th January, 2026

Under clause 20E of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 196(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 3124 (E) dated 8th July 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the Railway (Amendment) Act 2008 (11 of 2008)), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely “Ahmednagar-Beed-Parli-Vaijnath (261 km) - New Line Maharashtra” in the district of **Beed** in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in for **SDO Majalgaon daily Marathi newspapers namely “Dainik Ranjhunjar” & “Lokasha”** on dated 10-08-2025 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received.

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project of “Ahmednagar-Beed-Parli-Vaijnath (261 km) - New Line Maharashtra” for 1 village in the District Beed in the State of Maharashtra.

S.N.	Land Acquisition Case No.	Name of village	Taluka	Name of Land Holder(s) as per 7/12	Survey No. /Gutt No.	Land Tenure System	Total Area as per 7/12 (Ha.)	Acquisition Area (Ha.)	Assets		
									Borewell/ well	Constructions	Tree
1	66/2025	Babi	Wadwani	Amol Yashwant Rathod	97/2	1	6.55	0.04	0	0	0
2				Shekha Chafa Rathod & other 7	97/2	1		0.03	0	0	0
3				Jema Bhima Rathod	97/2	1		0.06	0	0	10- mango Sapling
4				Bhujang Narayan Rathod	97/2	1		0.06	0	0	09 - mango Sapling
5				Bhagwan Fula Rathod	97/2	1		0.03	0	1-Tin Shed	10- mango Sapling, 03- Bor
6				Uttam Roopsingh Rathod	97/2	1		0.11	0	0	0
7				Maana Lalu Rathod & other 8	97/2	1		0.13	0	1- Temple	0
8				Arun Vishnu Rathod	97/2	1		0.005	0	0	03 - mango Sapling
9				Gunduprasand Narayan Rathod	97/2	1		0.035	0	0	07 - mango Sapling
10				Bhagwan Fula Rathod	97/2	1		0.02	0	0	0
11				Aabasaheb Rupsing Rathod	97/2	1		0.06	0	0	0
12				Sampat Valu Rathod	97/2	1		0.23	1-pipeline	0	10-Mango tree, 02-Java Plum, 02- Bor- common
13				Bhagwan Fula Rathod	97/2	1		0.04	0	0	
14				Gunduprasand Narayan Rathod	97/2	1		0.05	1-pipeline	0	0
15				canal	97/2	1		0.13	0	0	0
16				Valu Pandu Rathod	97/2	1		0.25	1-pipeline	0	0
17				Bhagwan Fula Rathod	97/2	1		0.1	0	0	0
18				Valu Ambu Chauhan	50	1	8.25	0.07	1- Well Common Sushilabai Bandu,	0	04- mango tree,07- mango sapling, 01-

S.N.	Land Acquisition Case No.	Name of village	Taluka	Name of Land Holder(s) as per 7/12	Survey No. /Gutt No.	Land Tenure System	Total Area as per 7/12 (Ha.)	Acquisition Area (Ha.)	Assets		
									Borewell/ well	Constructions	Tree
									Valu Ambu, Ramrao Ramsingh		Tamarind
19				Sushilabai Bandu Chauhan	50	1		0.04	1- Pipeline	1- Poultry Shed	26- Mango sapling, 34- Guava tree
20				Maana Limba Chauhan	50	1		0.015	0	0	0
21				Bayanabai Hari Chauhan	50	1		0.01	0	0	0
22				Jema Laxman Chauhan	50	1		0.02	0	0	0
23				Bhimrao Ramsing Chauhan	50	1		0.005	0	0	0
24				Fuma Pandu Rathod	50	1		0.06	1- Well, 1- Pipeline	0	02- Mango sapling, 01- Chiku, 02 Teak
25				Uttam Shahu Rathod	50	1		0.025	0	1-RCC house, 1- Cow Shed	08- mango tree, 03- Coconut, 01- Java plum, 04- Mango sapling
26				Shamrao Limba Rathod	50	1		0.02	0	0	0
27				Dhodabai Soma Chauhan	50	1		0.02	0	0	02- Tamarind
28				Shri. Pandurang Sahkari Sakhar Karkhana	50	1		0.02	0	4-Bathroom	07- Mango sapling, 01- Coconut, 01 Lemon, 01- Guava, 01- Pomegranate
29				Soolochna Nandkishor Baheti	50	1		0.03	0	2-Room	0
30				Sattar Sultan Shaikh	50	1		0.02	1- Pipeline	5- Room	0
31				Kausabai Gyanoba Rathod	49	1	2.66	0.01	0	0	0
32				Sarikha Rameshwar Rathod	49	1		0.03	0	0	14- coconut, 03- Mango sapling
33				Balu Sahebrao	51	1	0.89	0.01	0	0	0
34				Subhash Vasant Rathod	51	1		0.01	0	0	0
35				Shivshankar Navnath Rathod	45	1	1.58	0.09	0	0	0
36				Sampat Valu Rathod, Baban Valu Rathod	104	1	4.34	0.21	1 farm pond is common, 2 pipelines are there. 1 well is common, but award for well is done in the name of Narayan Pandu Rathod.	0	05- Sandal, 02-Bor, 02- Java Plum, 06-Mango-common

S.N.	Land Acquisition Case No.	Name of village	Taluka	Name of Land Holder(s) as per 7/12	Survey No. /Gutt No.	Land Tenure System	Total Area as per 7/12 (Ha.)	Acquisition Area (Ha.)	Assets		
									Borewell/ well	Constructions	Tree
									But Sampat Valu Rathod and Baban Valu Rathod have a common well in their possession.		
37				Vishnu Chima Rathod	23	1	3.99	0.11	0	0	0
						Total	28.26 (Ha.)	2.205 (Ha.)			

[F. No.: G197/ANG-Beed-Parli-Vaijnath/Babi Vlg/20E/Corrigendum]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)